मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVIII अंक 7 अक्तूबर 2022

एमसीआईआर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खंड	विषयवस्तु	पृष्ठ
I.	मौद्रिक नीति	1
II.	विनियमन	1
III.	भुगतान और निपटान प्रणाली	3
IV.	फिनटेक	3
V.	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	3
VI.	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	3
VII.	वित्तीय बाज़ार	3
VIII	भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन	3
.IX.	भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रकाशन	4
X.	जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा अक्तूबर 2022 महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति की बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 38वीं बैठक 28 से 30 सितंबर 2022 के दौरान आयोजित की गई थी। बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, माननीय वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुंबई; प्रो. जयंत आर. वर्मा, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद; डॉ. राजीव रंजन, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी (2) (सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक के अधिकारी); डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर उपस्थित रहें और इसकी अध्यक्षता श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर द्वारा की गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अनुसार, रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति की प्रत्येक बैठक के चौदहवें दिन इस बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त प्रकाशित करता है, जिसमें मौद्रिक नीति समिति की बैठक में अपनाया गया संकल्प; मौद्रिक नीति के प्रत्येक सदस्य को प्रदान किया गया वोट और उक्त बैठक में अपनाए गए संकल्प पर धारा 45ज़ेडआई की उप-धारा (11) के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति के प्रत्येक सदस्य का वक्तव्य, शामिल होते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

2022-2023 के लिए एमपीसी की अतिरिक्त बैठक

रिज़र्व बैंक ने 27 अक्तूबर 2022 को घोषणा की कि एमपीसी की एक अतिरिक्त बैठक 3 नवंबर 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएन के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित की गई है। यह घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडआई(4) के अनुसार की गई है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

केंद्रीय बोर्ड की बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 598वीं बैठक 31 अक्तूबर 2022 को मुंबई में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बोर्ड ने अपनी बैठक में वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों के समग्र प्रभाव सहित वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों की समीक्षा की। बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों के कामकाज, लोकपाल योजना और चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों पर भी चर्चा की।

उप गवर्नर श्री महेश कुमार जैन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक श्री सतीश के. मराठे, श्री एस. गुरुमूर्ति, सुश्री रेवती अय्यर और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री वेणु श्रीनिवासन, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया ने बैठक में भाग लिया। श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग ने भी बैठक में भाग लिया।

II. विनियमन

विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई) को 31 अगस्त 2021 तक बैंकों के नाम तथा रेटिंग कार्यों पर जारी प्रेस प्रकाशनियों में उनके द्वारा रेट की गई क्रेडिट सुविधाओं का प्रकटीकरण करने के लिए सूचित किया गया था। हालांकि, ईसीएआई द्वारा बड़ी संख्या में जारी किए गए पीआर में उपर्युक्त प्रकटीकरण उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ईसीएआई को उधारकर्ताओं द्वारा अपेक्षित सहमति नहीं दी गई है।

रिज़र्व बैंक ने 10 अक्तूबर 2022 को सूचित किया कि ईसीएआई द्वारा उपरोक्त प्रकटीकरण के बिना बैंक ऋण रेटिंग, बैंकों द्वारा पूंजी गणना के लिए पात्र नहीं होगी। बैंक ऐसे एक्सपोजर को अमूल्यांकित मानेंगे और लागू जोखिम भार आवंटित करेंगे। ये निर्देश 31 मार्च 2023 से प्रभावी होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दक्ष (DAKSH) की शुरुआत की

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ने 6 अक्तूबर 2022 को 'दक्ष (DAKSH) - रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली' नामक एक नई सुपटेक पहल की शुरुआत की, जिससे पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की उम्मीद है। 'दक्ष (DAKSH)' एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है, जिसके माध्यम से बैंकों, एनबीएफसी आदि जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) में अनुपालन संस्कृति को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनुपालन अपेक्षाओं की निगरानी अधिक कुशलता से की जाएगी। यह एप्लिकेशन एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्बाध संचार, निरीक्षण योजना और निष्पादन, साइबर घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण, विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट आदि के प्रावधान को भी सक्षम करेगा, जो कभी भी-कहीं भी सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

रिज़र्व बैंक ने 11 अक्तूबर 2022 को व्यापक समीक्षा करने के बाद, बैंकों से उधार लेने वाली संस्थाओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफ़सीई) पर समेकित निदेश जारी किए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

नैशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड से प्राप्त दावे

रिज़र्व बैंक ने 13 अक्तूबर 2022 को यह निर्णय लिया कि इनवोक की गई गारंटी के संबंध में किए गए दावों के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से बैंकों को प्राप्त राशि, जिसे संबंधित अग्रिमों के लंबित समायोजन हेतु धारित किया गया है, को नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर)/ सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए एनडीटीएल की गणना हेतु बाह्य देयताओं के रूप में न माना जाए।

तदनुसार, सीआरआर/एसएलआर - 2021 पर मास्टर निदेश के पैरा 9 में अब से पात्र बैंकों द्वारा दावों के प्रति गारंटी इनवोक करके और उनके लंबित समायोजनों के लिए एनसीजीटीसी से प्राप्त राशि शामिल होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन- मसौदा मास्टर निदेश

रिज़र्व बैंक ने 20 अक्तूबर 2022 को हितधारकों और जनता की टिप्पणियों/ प्रतिक्रियाओं के लिए 'मास्टर निदेश - सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन पद्धति' का मसौदा तैयार किया। प्राप्त फीडबैक पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम मास्टर निदेश जारी किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफ़एटीएफ़) ने पहले 22 क्षेत्राधिकारों की पहचान रणनीतिक कमियों और बढ़ी हुई निगरानी के रूप में की थी। एफ़एटीएफ़ के 21 अक्तूबर 2022 के सार्वजनिक वक्तव्य के अनुसार, बढ़ती निगरानी के अंतर्गत एफ़एटीएफ़ द्वारा की गयी समीक्षा के आधार पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दि कांगो, मोजाम्बिक और तंजानिया को अब सूची में शामिल किया गया है और निकारागुआ और पाकिस्तान को इस सूची से हटा दिया गया है। म्यांमार को अक्तूबर 2022 एफ़एटीएफ़ प्लेनरी में उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में जोड़ा गया है। रिज़र्व बैंक ने 27 अक्तूबर 2022 को एफ़एटीएफ़ द्वारा 21 अक्तूबर 2022 को जारी सार्वजनिक विवरण और दस्तावेज़ को अद्यतन किया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

आतंकवादियों के रूप में नामित करना

रिज़र्व बैंक ने गृह मंत्रालय के दिनांक 4 अक्तूबर 2022 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार 27 अक्तूबर 2022 को दस व्यक्तियों को 'आतंकवादी' के रूप में सूचित किया, जिन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के अंतर्गत अनुसूची IV में सूचीबद्ध किया गया है और विनियमित संस्थाओं (आरई) को आवश्यक अनुपालन के लिए एमएचए द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचनाओं का संदर्भ लेने हेतु सूचित किया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

समामेलन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 अक्तूबर 2022 को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) के द्वारा संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए के प्रावधानों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शारदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) का दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 30 अक्तूबर 2022 से प्रभावी होगी। श्री शारदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) की सभी शाखाएं 30 अक्तूबर 2022 से दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

कार्यकलापों का विविधीकरण

एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को अपने विदेशी संविभाग निवेशक (एफ़पीआई) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा उत्पादों को प्रदान करने की अनुमति है।। उन्हें विवेकपूर्ण विनियमनों के अनुपालन के अधीन, उपयोगकर्ताओं को सभी विदेशी मुद्रा मार्केट-मेकिंग सुविधा प्रदान करने की अनुमति है, जैसा कि वर्तमान में श्रेणी-I अधिकृत व्यापारियों को दी गई है।

रिज़र्व बैंक ने 11 अक्तूबर 2022 को घोषणा की कि 1 जनवरी 2023 से, एसपीडी से संबंधित संस्थाओं द्वारा वैश्विक स्तर पर किए गए सभी वित्तीय लेनदेन, जिसमें रुपया शामिल हैं, को लेनदेन की तारीख के अगले कारोबार दिवस के दोपहर 12.00 बजे से पहले सीसीआईएल के ट्रेड रिपोज़िटरी को रिपोर्ट किया जाएगा। एसपीडी समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य विनियमों और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक ने 11 अक्तूबर 2022 को विदेशी मुद्रा गतिविधियों को करने के लिए एसपीडी द्वारा पालन किए जाने वाले विवेकपूर्ण विनियम भी जारी किए जो उनकी गैर-प्रमुख गतिविधि का हिस्सा बने रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विचलन का प्रकटीकरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन के विवरणों का प्रकटीकरण करें, जहां भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मूल्यांकन किया गया ऐसा विचलन, निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक है। रिज़र्व बैंक ने 11 अक्तूबर 2022 को प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए समान प्रकटीकरण आवश्यकताओं को शुरू करने और वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्दिष्ट सीमाओं को संशोधित करने का निर्णय लिया। 31 मार्च 2023 और उसके बाद समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण के लिए प्रभावी ये निदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और सभी शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

रिज़र्व बैंक ने 11 अक्तूबर 2022 को समिति की सिफारिशों, हितधारकों से प्राप्त फीडबैक, एआरसी के कामकाज और उन्हें अधिक पारदर्शी और कुशल तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिशों के आधार पर एआरसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा जारी किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी

रिज़र्व बैंक ने 11 अक्तूबर 2022 को एक समूह में एनबीएफसी की आस्तियों के समेकन पर मौजूदा नीति के अनुरूप यह सुनिश्चित किया कि समूह में सभी एनबीएफसी की कुल आस्तियों को मध्यम स्तर में उनके वर्गीकरण के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए समेकित किया जाएगा, जो स्केल आधारित नियामक ढांचे के अंतर्गत एनबीएफसी के लिए चार स्तरित नियामक संरचना को चित्रित करता है। यदि समूह की समेकित आस्ति का आकार ₹1,000 करोड़ और उससे अधिक है, तो समूह के प्रत्येक निवेश और साख कंपनी को मिडिल लेयर में एक एनबीएफ़सी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और परिणामस्वरूप, मिडिल लेयर पर लागू नियम उन पर लागू होंगे। ये दिशानिर्देश 1 अक्तूबर 2022 से प्रभावी होंगे। इस परिपत्र में निहित प्रावधान एनबीएफसी को अपर लेयर में वर्गीकृत करने के लिए लागू नहीं होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 अक्तूबर 2022 को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है। कंपनी, प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनके परिचालन का कारोबार नहीं कर सकती है। हालांकि, कंपनी पर वैध दावा, यदि कोई हो, वाले ग्राहक या व्यापारी अपने दावों के निपटान के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. फिनटेक

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा

रिज़र्व बैंक ने 31 अक्तूबर 2022 को डिजिटल रुपया - थोक खंड (ई₹-डब्ल्यू) का पहला प्रायोगिक परिचालन 1 नवंबर 2022 को शुरू करने की घोषणा की। ई₹-डब्ल्यू के उपयोग से अंतर-बैंक बाजार को और अधिक कुशल बनाने की उम्मीद है। प्रायोगिक परिचालन में भाग लेने के लिए नौ बैंकों की पहचान की गई है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति

रिज़र्व बैंक ने 6 अक्तूबर 2022 को साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होने पर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाली सभी साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को निदेश देता है कि वे 1 अप्रैल 2023 तक अपने आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के शीर्ष पर आंतरिक लोकपाल (आईओ) की नियुक्ति करें। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VI. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

रिपब्लिक ऑफ क्यूबा को अल्पावधि ऋण व्यवस्था

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने बैंको एक्सटेरियर डी क्यूबा, जो रिपब्लिक ऑफ क्यूबा की एक नामनिर्दिष्ट एजेंसी है, के साथ 23 जून 2022 को एक करार किया है, जिसके अंतर्गत रिपब्लिक ऑफ क्यूबा को भारत से चावल की खरीद हेतु वित्तपोषण के लिए 100 मिलियन यूरो की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. वित्तीय बाज़ार

एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण-अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने 11 अक्तूबर 2022 को निर्णय लिया कि **एकल** प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को इस संबंध में अलग से जारी किए जानेवाले विवेकपूर्ण विनियमनों और अन्य दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन, उपयोगकर्ताओं को सभी विदेशी मुद्रा मार्केट-मेकिंग सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी जाए, जैसा कि वर्तमान में श्रेणी-I अधिकृत व्यापारियों को दी गई है। इसके अलावा, 1 जनवरी 2023 से, एसपीडी से संबंधित संस्थाओं द्वारा वैश्विक स्तर पर किए गए सभी वित्तीय लेनदेन, जिसमें रुपया शामिल हैं, को लेनदेन की तारीख के अगले कारोबार दिवस के दोपहर 12.00 बजे से पहले सीसीआईएल के ट्रेड रिपोज़िटरी को रिपोर्ट किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विवेकपूर्ण विनियमों और अन्य अनुदेश

रिज़र्व बैंक ने 11 अक्तूबर 2022 को एसपीडी को सूचित किया कि एसपीडी को अनुमत विदेशी मुद्रा गतिविधियों को उनकी गैर-प्रमुख गतिविधियों के रूप में जारी रखें। इस गतिविधि को करने के लिए इच्छुक एसपीडी, आवश्यक प्राधिकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं। सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक डीलरशिप (पीडी) व्यवसाय के दायित्वों को पूरा करने में एसपीडी की विफलता या पीडी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों के किसी अन्य उल्लंघन के मामले में, रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा व्यापार करने की अनुमति पर प्रतिबंध लगाने या उसे वापस लेने का अधिकार रखता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन – अक्तूबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अक्तूबर 2022 अपने मासिक बुलेटिन का अक्तूबर 2022 अंक जारी किया। बुलेटिन में एक भाषण, पांच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

I. *अर्थव्यवस्था की स्थिति*

भारत में, व्यापक आर्थिक गतिविधि आघात-सह बनी हुई है और घरेलू मांग में तेजी के साथ और विस्तार की ओर अग्रसर है क्योंकि संपर्क-गहन क्षेत्रों में सुधार दिख रहा है। मजबूत ऋण संवृद्धि और कॉर्पोरेट और बैंक के मजबूत तुलन पत्र अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति में सितंबर के उच्च स्तर से कमी आ रही है। ये कारक विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की संभावनाओं को प्रभावित करेंगे।

II. ***भारत के लिए हरित सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान***

यह लेख पर्यावरणीय क्षरण और लुप्त होती प्राकृतिक संसाधनों के लिए हरित सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान प्रदान करता है।

III. ***वित्तीय क्षेत्र में 'बिगटेक': प्रतिस्पर्धा और स्थिरता का संतुलन***

यह लेख वित्तीय क्षेत्र में बिगटेक के लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण करता है।

IV. ***डेट म्यूचुअल फंड में बाज़ार प्रतिलाभ और प्रवाह***

लेख भारत में डेट म्यूचुअल फंड की संवृद्धि का विश्लेषण करता है।

V. ***भारत में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय देयताएं - एक मूल्यांकन***

यह आलेख भारतीय घरेलू उधार के निर्धारकों की जांच करता है और आघातों के विभिन्न प्रकरणों में इन उधारों के धरणीयता का मूल्यांकन करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रकाशन

मूल सांख्यिकीय विवरणी के 50 वर्ष

रिज़र्व बैंक ने पिछले 50 वर्षों (1972-2022) के दौरान भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विस्तार और वित्तीय समावेशन नीतियों के समर्थन में मूल सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) प्रणाली की भूमिका और आगे की राह पर चर्चा करने के लिए 28 अक्तूबर 2022 को बीएसआर@50 सम्मेलन का आयोजन किया। प्रतिभागियों में रिज़र्व बैंक के अधिकारी, प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि, जिनमें उनके मुख्य अनुपालन अधिकारियों और चुनिंदा पदेन अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने अतीत में बीएसआर प्रणाली में योगदान दिया था।

डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, उप गवर्नर ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि बीएसआर प्रणाली, एक विस्तृत डेटा संग्रह प्रणाली के रूप में समय की कसौटी पर खरा उतरा है, जिसे लगातार अपनाया गया है और अर्थव्यवस्था तथा बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तनों को शामिल किया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारत केएलईएमएस डेटाबेस

रिज़र्व बैंक ने 4 अक्तूबर 2022 को अपनी वेबसाइट पर 'उद्योग स्तर पर उत्पादकता को मापना-भारत केएलईएमएस [पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवा (एस)] डेटाबेस' संबंधी डेटा मैनुअल 2021 जारी किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक - समसामयिक पत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 अक्तूबर 2022 को अपने समसामयिक पत्रों का खंड 42, संख्या 2, 2021 जारी किया, जो उसके कर्मचारियों के योगदान द्वारा तैयार की गई एक शोध पत्रिका है। इस अंक में चार लेख और दो पुस्तक समीक्षाएं हैं।

1. भानु प्रताप, अभिषेक रंजन, विमल किशोर और बिनोद बी. भोई द्वारा ***समाचार-आधारित रुख संकेतकों का उपयोग करके खाद्य मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान।*** लेखकगण ने भारत में सब्जियों और खाद्य पदार्थों में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान हेतु समाचार पत्रों के लेखों में सूचना सामग्री की उपयोगिता की जांच की। प्रमुख अंग्रेजी दैनिकों में प्रकाशित तीन प्रमुख सब्जियों अर्थात् टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी), जिनका भारत में सीपीआई खाद्य और हेडलाइन मुद्रास्फीति दोनों की अस्थिरता में भारी योगदान रहता है, से संबंधित समाचारों का उपयोग करते हुए, लेखक टीओपी पण्यों की कीमत की गतिशीलता के बारे में जानने के लिए समाचार-आधारित रुख सूचकांकों के निर्माण के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीकों को नियोजित करते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

2. दिर्घाउ केशव राउत द्वारा ***उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में व्यवहारगत संतुलन विनिमय दरों*** इस लेख में, लेखक ने व्यवहारगत संतुलन विनिमय दर (बीईईआर) मॉडल का उपयोग करके उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में संतुलन विनिमय दरों का मूल्यांकन किया है। 10 ईएमई के लिए 1994-2020 के वार्षिक आंकड़ों को नियोजित करते हुए, लेखक ने पाया कि दीर्घावधि में वास्तविक प्रभावी विनिमय दर बालासा-सैमुअलसन प्रभाव की पुष्टि करती है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

3. सिद्धार्थ नाथ, श्रीरूपा सेनगुप्ता और साधन कुमार चट्टोपाध्याय द्वारा ***उत्पादकता आधारित संवृद्धि के लिए भारत का नवोन्मेष पारिस्थितिकी तंत्र: अवसर और चुनौतियाँ*** लेखकगण ने भारत सहित प्रमुख उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अनुसंधान और विकास (आर&डी) व्यय के हालिया रुझानों पर प्रकाश डाला है। अध्ययन यह दर्शाता है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का आर&डी व्यय, जो नवोन्मेष और उत्पादकता संवृद्धि का एक प्रमुख चालक है, अभी तक अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बराबर नहीं है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

4. सुजाता कुंडू, हिमानी शेखर और विमल किशोर द्वारा ***सीपीआई में मूल्य अवरुद्धता और भारत में मांग आघात के प्रति इसकी संवेदनशीलता।*** लेखकगण विभिन्न मूल्य-निर्धारण पद्धतियों में मद स्तर आंकड़ों को वर्गीकृत करके अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) में मूल्य अवरुद्धता के स्तर की जांच की हैं और एक अवरुद्ध मूल्य सूचकांक और एक लचीली मूल्य सूचकांक का निर्माण करते हैं और पाते हैं कि हेडलाइन मुद्रास्फीति मुख्य रूप से लचीली मूल्य मुद्रास्फीति से प्रेरित होती है, जबकि खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति मुख्य रूप से अवरुद्ध मूल्य मुद्रास्फीति के साथ-साथ चलती है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पुस्तक समीक्षा :

क) श्रीरूपा सेनगुप्ता ने बारबरा एम. फ्राउमेनी द्वारा संपादित पुस्तक "मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी: फ़ाउंडेशन, केएलईएमएस प्रोडक्शन मॉडल्स एंड एक्सटेंशन्स" की समीक्षा की। यह पुस्तक उत्पादकता पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है, जो व्यापार उत्पादकता सहलग्नता, ऊर्जा और पर्यावरणीय मुद्दों के विश्लेषण से लेकर कल्याण और मानव पूंजी विकास के मॉडल को शामिल करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ख) श्रुति जोशी ने बेनियामिनो कैलेग्री द्वारा लिखित पुस्तक "फाउंडेशन ऑफ पोस्ट-शुम्पीटेरियन इकोनॉमिक्स: इनोवेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंस" की समीक्षा की। यह पुस्तक एक फ्रांसीसी दार्शनिक हेनरी बर्गसन और एक अर्थशास्त्री जॉर्जेस्कु-रोजन के कार्यों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करके शुम्पीटर के सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

X. जारी आंकड़े

अक्तूबर 2022 के महीने में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्रम सं	शीर्षक
1.	भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार: अगस्त 2022
2.	ईसीबी/एफ़सीसीबी/आरडीबी: अगस्त 2022
3.	समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश: सितंबर 2022
4.	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन: सितंबर 2022
5.	बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सर्वेक्षण: 2021-22
6.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें: अक्तूबर 2022

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।